न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 76 / 2022

उनवान

मोहनलाल आत्मज गिरधारी आयु 64 वर्ष जाति मोग्या निवासी डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
–अपीलान्ट

बनाम

1.देवचंद आत्मज रोडू जाति मेघवाल निवासी डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2. तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजसिंह धाभाई (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित

प्रकरण संख्या : 85 / 2022

उनवान

1. राजेन्द्र आत्मज छीतरलाल जाति मेघवाल
2. हरपाल आत्मज छीतरलाल जाति मेधवाल निवासीगण ग्राम डूँगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा

बनाम

1.देवचंद आत्मज रोडू जाति मेघवाल निवासी डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2 मोहनलाल आत्मज गिरधारी जाति मोग्या निवासी डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0टी0 एक्ट 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.08.2022 न्यायालय तहसीलदार दीगोद जिला कोटा कार्यवाही 183 बी0 राज0 का0 अधि0 प्रकरण 2 / 2022 बउनवान देवचन्द्र बनाम राजेन्द्र

निर्णय दिनांक :12.07.2024

1. वकील अपीलाण्ट ने प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील सं0 85 / 2022 को पूर्व अपील संख्या 76 / 2022 के साथ समायोजित किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

उपरोक्त वर्णित दोनो अपील एक ही आदेश दिनांक 25.08.2022 के विरूद्ध होने से अपील संखा 85/2022 को पूर्व अपील संख्या 76/2022 में समायोजित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसील दीगोद मे देवचन्द्र आत्मज रोडू जी ने अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय तहसील दीगोद द्वारा निर्णय दिनांक 25.08.2022 से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी राजेन्द्र, हरपाल मोहनलाल देवलाल रेस्पोडेन्ट को बेदखली के आदेश दिये गये।

2 अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपीले सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया। रेस्पोडेट बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील अपीलाण्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का बहस अपील में कथन है यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2022 को उपरोक्त उनवान के प्रकरण को निर्णित करते हुए यह आदेश पारित किया कि वादी की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा कर वादी के काश्त के अधिकारो से वंचित किया गया है। ग्राम डूंगरज्या की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता 92 ख0न0 948/232 रकबा 0.10 है0 भूमि से अतिक्रमी मोहनलाल को बेदखल किया जाकर वादी देवचन्द को मौके पर कब्जा दिया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का कब्जा उक्त आराजी पर होने के बावजूद स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया जबकि वादी उक्त आराजी पर काश्त करता आ रहा है तथा वादी की खातेदारी की आराजी ख0न0 176 की रकबा 0.01 है0 ख0न0 177 रकबा 0.42 है0 ख0न0 178 की रकबा 0.42 है पर काश्त करता आ रहा है और ख0न0 948/232 रकबा 0.10 है0 भी उक्त आरजी में शामलाती है। अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा में एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टी0एक्ट का प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिसमें अपीलाण्ट द्वारा उसके कब्जे काश्त की सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करने की प्रार्थना की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि ख0न0 948/232 रकबा 0.10 है अपीलाण्ट की कंब्जे काश्त की आराजी में शामिल है जो अपीलाण्ट द्वारा रास्ते के उपयोग में ली जाती है। राजस्व रिकार्ड में भी उक्त आराजी 0.10 है0 अपीलाण्ट की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता निर्धारित है। अधीनस्थ न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह ख0न0 948/232 की रकबा 0.10 है0 में से उसे बेदखल कर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबद करे जबकि उक्त आराजी अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में कई वर्षो से चली आ रही है। अपीलाण्ट द्वारा अपने कब्जे काश्त की आराजी पर ही लगभग पिछले 35 वर्षो से शान्तिपूर्वक काश्त करता आ रहा है। जिससे रेस्पोडेन्ट / वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजी से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करे। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

4. हमने अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम पाते है कि ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद के खाता सं0 92 के ख0न0 948/232 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि में जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में देवचन्द्र पुत्र रोडू जाति मेघवाल निवासी डूंगरज्या के नाम दर्ज है। ग्राम डूंगरज्या के खाता संख्या 244 के ख0न0 214 रकबा 0.22 है भूमि में जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में देवचन्द्र, रघुनाथ, रामदेवा, रामप्रसाद, हीरा आदि के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट खातेदार है। रेस्पोडेन्ट जाति मेघवाल है जो अनुसूचित जाति वर्ग की श्रेणी में आती है। तहसीलदार दीगोद द्वारा जिसे बेदखली के आदेश दिये है जिसे हम उचित मानते है। रेस्पोडेन्ट धारा 183 बी के अन्तर्गत कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। तहसीलदार दीगोद द्वारा अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत की गई बेदखली की कार्यवाही आदेश दिनांक 25.08.2022 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपील अस्वीकार योग्य पाते है।

5. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा